न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश, ई०सी० एक्ट, जौनपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–438/2026

सी०एन०आर०–UPJP010047602026

1– रविन्द्र कुमार यादव उर्फ नीबू पुत्र लालबहादुर यादव
2– वीरू यादव पुत्र लालचन्द यादव
3– धर्मेन्द्र यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र लालबहादुर यादव
4– विनोद यादव पुत्र विजय बहादुर यादव
सा०मौ० लाडलेपुर, थाना सरायख्वाजा, जौनपुर।

– आवेदककगण/अभियुक्तगण।

–बनाम–

1–उ०प्र० सरकार जरिए जिला मजिस्ट्रेट/डी.जी.सी.(क्रिमिनल), जौनपुर।

–विपक्षी।

वाद सं०–270/26
मु०अ०सं०–342/2025,
धारा–191(2), 115(2), 352,
351(3), 125, 110 बी०एन०एस०
थाना–सरायख्वाजा, जनपद–जौनपुर।

दिनांक–23.06.2026

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण रविन्द्र कुमार यादव उर्फ नीबू, वीरू यादव, धर्मेन्द्र यादव उर्फ बबलू एवं विनोद यादव की ओर से मु०अ०सं०–342/2025, अंतर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 125, 110 बी०एन०एस०, थाना सरायख्वाजा, जनपद–जौनपुर के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा कोई भी आपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बिलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की कोई समय व घटना स्थल अंकित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी प्रथम दृष्टया अपराध जुर्म दफात वाला का नहीं बनता है। शिवाय दफा–110 बी०एन०एस० बाकी दफाए जमानतीय है, जबकि दफा–110 बी०एन०एस० में अधिकतम सजा 7 वर्ष तक लिखित है, मुताबिक दिशा निर्देश उच्चतम न्यायालय अपराध जिसमे अधिकतम सजा 7 वर्ष तक की है, उन अपराधों में जमानत पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अभियुक्तगण दौरान विवेचना विवेचक का पूरी तरह से सहयोग किया है तथा भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया में भी उपस्थित होकर न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा। तथाकथित घटना का क्रॉस के भी है जिसकी एफ०आई०आर० व अरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। अभियुक्तगण की भागने व गवाहान को तोड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अन्य अभियुक्तों रोहित यादव, राहुल यादव, लालचन्द यादव, सचिन, रूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र यादव, सुभाषचन्द्र यादव की नियमित जमानते माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है तथा अभियुक्त सुनील कुमार यादव, मुकेश यादव की अग्रिम जतानत दिनांक–08.06.2026 को स्वीकृत हो चुकी है। आवेदकगण का मामला भी समान है। अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा जमानत में निर्दिष्ट निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। सत्र न्यायालय में अभियुक्तगण का आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है, कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न तो अदालत हाजा अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, न ही निरस्त हुआ है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

Digitally signed by ROOPALI SAXENA
Date: 2026.06.23 13:18:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Jaunpur

3– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्तगण अपनी नियमित जमानत हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2025 को वादी मुकदमा के गांव के निब्बू यादव, लाले यादव, बबलू यादव, विनोद यादव, सचिन यादव व विरू यादव अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर मार्केट में हुई कहा सुनी को लेकर वादी मुकदमा के भाई चंदन, विपिन यादव व बहन अंशिका यादव तथा पिता श्यामधारी को लाठी ईंटा पत्थर से मारे पीटे तथा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिये। घायलों को निजी व एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। उपरोक्त व्यक्ति के मारने से विपिन मौके पर ही बेहोश हो गया।

6– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 01.06.2025 की है, वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 02.06.2025 को निब्बू यादव, लाले यादव, बबलू यादव, विनोद यादव, सचिन यादव, विरू यादव एवं कुछ अज्ञात साथी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामजद अभियुक्त हैं। प्रस्तुत मामले में नामजद अभियुक्तगण की नियमित जमानत तथा दौरान विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण का क्रॉस केस होना बताया गया। आरोपित धाराओं में 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है। सम्बन्धित थाने से अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के रूप में इस मुकदमे के अतिरिक्त अन्य किसी मुकदमे का कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 1849/2021 स्पेशल लीव पेटिशन (कि0) 5191/2021 सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० एवं अन्य** में दिये गये दिशा निर्देश को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त व न्यायोचित आधार प्रतीत होता है।

आदेश

मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखतें हुए बिना गुण–दोष पर टिप्पणी किये अभियुक्तगण रविन्द्र कुमार यादव उर्फ नीबू, वीरू यादव, धर्मेन्द्र यादव उर्फ बबलू एवं विनोद यादव प्रत्येक को 50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये के स्व बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने एवं निम्न शर्तों की अंडर टेकिंग दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

1– अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा सम्मन किये जाने पर प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होंगे।

2–अभियुक्तगण आरोप विरचित होने के दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

3–अभियुक्तगण अभियोजन की ओर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और अभियोजन के साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा हेतु तत्पर व तैयार रहेंगे, कोई अनाश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

4–अभियुक्तगण बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प०सं० के दिनांक, बहस की तिथि तथा निर्णय के दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

दिनांकः–23.06.2026

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ/
विशेष न्यायधीश, ई०सी० एक्ट
जौनपुर।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 1524